MT-23

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : मधेपुर

निरीक्षण की तिथि : 29–06–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 29-06-2003 को मधेपुर थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

§1§ परिचय :-

मधेपुर थाना जिला मुख्यालय से लगभग 55 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है । अनुमण्डल मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 17 कि०मी० है । यह थाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, अतः आवागमन की सुविधायुक्त है ।

इस थाना का सृजन किस अधिसूचना संख्या से हुआ एवं कब से कार्यरत है, इसकी कोई सूचना इस थाना में उपलब्ध नहीं है, जो आश्चर्य का विषय है । निरीक्षण के समय उपस्थित अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी ने बताया कि यह थाना जिला का सबसे पुराना थाना है । थाना प्रभारी ने बताया कि सरकारी अधिसूचना की प्रति प्राप्त करने हेतु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध किया गया है । परन्तु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के कार्यालय में भी अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । बताया गया कि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा से पत्राचार किया गया है, जहाँ से अधिसूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जायगा ।

थाना प्रभारी ने बताया कि "भेजा", "लखनौर" एवं "आर०एस०शिविर थाना मधेपुर थाना का ही सहायक थाना है । चूँकि इन थानों का अधिसूचना अभी नहीं हुआ है, अतः इनका विधिवत् प्राथमिकी इसी थाना में दर्ज होता है । बताया गया कि इस थाना में कोई पिकेट नहीं है ।

निरीक्षण के समय अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर/अंचल अधिकारी, मधेपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल उपस्थित थे ।

§2§ भवन :-

मधेपुर थाना अपने भवन में कार्यरत है । भवन की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है । किसी भी समय गिर सकता है । थाना प्रभारी ने बताया कि वर्षात के मौसम में पानी चूता है जिससे महत्वपूर्ण अभिलेख आदि नष्ट हो जाती है । थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं आरक्षी के लिए सरकारी आवास निर्मित है, परन्तु सभी आवास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ।

लगातार... 2/-

आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि थाना भवन एवं आवासीय भवन की मरम्मति हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम, पटना को अपने स्तर से पत्राचार करने की कृपा करें । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस थाना का चहारदिवारी का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसे कराना आवश्यक है । सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चहारदिवारी का होना आवश्यक है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि थाना परिसर के अगल-बगल में बसे ग्रामीणों द्वारा थाना के भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है । बताया गया कि 5 एकड़ में थाना का भूमि है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि थाना भवन के चहारदिवारी के निर्माण हेतु भी बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम, पटना को अपने स्तर से पत्र लिखने की कृपा करें । अंचल अधिकारी, मधेपुर को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर इसकी नापी कराकर सीमांकन कराने काकष्ट करें । साथ ही थाना की जमीन यदि अतिक्रमित है, तो उसे अविलम्ब खाली कराना सुनिश्चित करें । निरीक्षण के क्रम में सिरिस्ता कक्ष, पुरूष/महिला बन्दी कक्ष, थाना प्रभारी का कार्यालय प्रकोष्ट को देखा । थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में पदाधिकारियों के पदस्थापन का बोर्ड नीचे रखा हुआ पाया गया, जिसे ऊपर टांगने का निर्देश दिया गया । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि थाना भवन के बगल में बहुत पुराना खपड़े का मकान जर्जर स्थिति में है । थाना प्रभारी ने बताया कि ब्रिटीश युग में थाना भवन इसी खपड़े के मकान में चलता था । भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि महिला बन्दी गृह में एक पुराना मोटर साईकिल रखा हुआ है । थाना भवन में सटे पीछे एक शौचालय एवं स्नानघर है, जहाँ अत्यधिक गंदगी फैली हुई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त स्थान में सफाई कराना सुनिश्चित करें । थाना प्रभारी ने बताया कि थाना के जमीन में कुछ सरकारी ताड़ सुख गये हैं, जिन्हें नीलाम करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सुखे ताड़ के पेड़ों की सूची तैयार कर उसे नीलाम करने हेतु प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

§3§ प्रभार :-

श्री मुन्द्रिका प्रसाद, अवर निरीक्षक दिनांक 02-02-2003 से थाना प्रभारी, मधेपुर के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री सिद्धेश्वर रविदास, अवर निरीक्षक, थानाप्रभारी के रूप में कार्यरत थे । अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1985 से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों के पदस्थापन की सूची§नामपट्ट§ बनाई गई है । यद्यपि यह थाना काफी

लगातार....3/-

पुराना है, फलस्वरूप थाना प्रभारियों की सूची बहुत पूर्व से रहनी चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जबसे यह थाना कार्यरत है तब से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों के पदस्थापन संबंधी सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें । वर्ष-1985 से दर्शाये गये थाना प्रभारियों का नाम एवं उनके नाम के सामने अंकित अवधि निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	श्री शशिभूषण पाण्डेय	अवर निरीक्षक	25-06-1985 से 01-02-1985 तक
2-	श्री महारूद्र ठाकुर	अवर निरीक्षक	02-02-1985 से 05-12-1990 तक
3-	श्री सुखदेव पाण्डेय	अवर निरीक्षक	06-12-1990 से 13-03-1991 तक
4-	श्री महेश राम	अवर निरीक्षक	14-03-1991 से 26-03-1991 तक
5-	श्री रामनाथ राम	अवर निरीक्षक	27-03-1992 से 21-11-1992 तक
6-	श्री एस0 डी0 चौधरी	अवर निरीक्षक	22-11-1992 से 13-09-1994 तक
7-	मो0 समसुल हक	अवर निरीक्षक	14-09-1994 से 07-07-1995 तक
8-	मो0 इफ्तखार अहमद	अवर निरीक्षक	08-07-1995 से 06-07-1996 तक
9-	श्री भुवनन्दन सिंह	अवर निरीक्षक	07-07-1996 से 15-05-1997 तक
10-	श्री डी0एन0सिंह	अवर निरीक्षक	16-05-1997 से 12-07-1998 तक
11-	श्री रविन्द्र नाथ राय	अवर निरीक्षक	13-07-1998 से 11-05-2000 तक
12-	श्री असलम अली	अवर निरीक्षक	12-05-2000 से 26-06-2001 तक
13-	श्री गोपालजी प्रसाद	अवर निरीक्षक	27-06-2001 से 26-05-2002 तक
14-	श्री सिद्धेश्वर रविदास	अवर निरीक्षक	17-05-2002 से 31-01-2003 तक
15-	श्री मुन्द्रिका प्रसाद	अवर निरीक्षक	02-02-2003 से अद्यतन ।

लगातार....4/-

§4§ स्थापना :-

मधेपुर थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	2	-	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-	-
3-	हवलदार	1	1	-	-
4-	आरक्षी	8	2	6	-
	कुल योग :-	13	7	6	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी का 6 पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि आरक्षी के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की विस्तृत विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	पदस्थापन की तिथि	पूर्व पदस्थापन	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	मुन्द्रिका प्रसाद	02-02-2003	आरक्षी केन्द्र, मधु0	ग्राम-डिहुरा, पो0-खेई, थाना-अलीपुर, जिला-गया ।
2-	अवर निरीक्षक	लखेन्द्र पासवान	21-06-2003	जयनगर थाना	ग्राम-पिपरा असली, थाना-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर ।
3-	सहायक अवर निरी0	त्रिवेणी सिंह	29-09-2001	आरक्षी केन्द्र, मधु0	ग्राम-माऊर, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा ।

लगातार....5/-

4-	सहायक अवर निरीक्षक	रिजवान अहमद	12-06-2003	आरक्षी केन्द्र, मधुबनी	ग्राम-नकछेद टोला, पो0-थाना-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पार
5-	आरक्षी-72	रामानुज सिंह	26-06-2002	अंधरामठ थाना	ग्राम-उरई, थाना-शाहजहाँपुर, जिला-पटना ।
6-	आरक्षी-57	शमीम अख्तर	22-10-2002	झंझारपुर कोर्ट	ग्राम-टोला-हरदिया, थाना-बहरिया, जिला-सीवान

§5§ पूर्व निरीक्षण :-

मधेपुर थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री एम0 रहमान	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	12-12-1992	03-01-1993	15-04-1993
2-	श्री पी0आर0के0नायडू	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-04-1993	26-04-1993	31-07-1993
3-	श्री सीताराम	आरक्षी निरी0, झंझारपुर	29-11-1993	29-11-1993	15-12-1993
4-	श्री एम0 रहमान	अनु0आर0पदा0झंझारपुर	23-03-1994	07-04-1994	20-05-1994
5-	श्री रामलखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	30-10-1994	31-10-1994	15-12-1994
6-	श्री रमाकान्त बैठा	आरक्षी निरी0झंझारपुर	23-03-1996	23-03-1996	अप्राप्त
7-	डा0 एम0ए0रज्जाक	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	24-03-1996	27-03-1996	05-09-1996
8-	श्री एस0आर0खाँ	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	29-11-1997	-	-
9-	श्री शाहराब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	02-11-1998	-	-
10-	मो0 इस्लाम	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	22-06-1999	-	-
11-	श्री उमा शंकर प्रसाद	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	09-12-2000	-	-
12-	श्री बी0के0श्रीवास्तव	आरक्षी निरी0झंझारपुर	28-03-2001	-	-
13-	श्री अमजद अली	अनु0आ0पदा0झंझारपुर	25-11-2002	-	-
14-	श्री बी0के0श्रीवास्तव	आरक्षी निरी0झंझारपुर	25-03-2003	-	-

लगातार... 6/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी जिला पदाधिकारी द्वारा इस थाना का पूर्व में निरीक्षण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा वर्ष 1998 के बाद, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा वर्ष 2002 के बाद इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थाना का निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध करावें । अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निदेश दिया जाता है कि वे अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ।

निरीक्षण टिप्पणी के उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री एस0आर0बाँ, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा इस थाना का दिनांक 29-11-1997 को निरीक्षण किया गया, परन्तु निरीक्षण टिप्पणी अप्राप्त है, इसी प्रकार श्री शहाब अख्तर, आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक 02-11-1998 को, मो0 इस्लाम, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा 22-06-1999 को, श्री उमाशंकर प्रसाद, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा दिनांक 09-12-2000 को, श्री वी0के0श्रीवास्तव, आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा दिनांक 28-03-2001 को, श्री अमजद अली, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा दिनांक 25-11-2002 एवं श्री वी0के0श्रीवास्तव, आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा दिनांक 25-03-2003 को इस थाना का निरीक्षण किया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में निरीक्षण टिप्पणी कब प्राप्त हुई एवं कब उसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो थाना प्रभारी के लापरवाही का द्योतक है । थाना प्रभारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब भेजें । साथ ही उपर्युक्त निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का यदि निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त हो गया हो, तो अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें । इसी प्रकार श्री

80/

लगातार... 7/-

रमाकान्त बैठा, आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा इस थाना का दिनांक 23-03-1996 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 23-03-1996 को ही प्राप्त हो गया, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में छानबीन कर यह सूचित करें कि किसकी लापरवाही के कारण अनुपालन प्रतिवेदन आज तक नहीं भेजा जा सका । साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए । यदि अन्तिम अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो, तो अन्तरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । अनुपालन प्रतिवेदन किया जा रहा है, किया जायेगा आदि शब्दों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए । यदि समय-सीमा के अन्दर निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजियों का अवलोकन किया । पंजियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सबसे पुराना निरीक्षण टिप्पणी वर्ष 1962 का है । इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 1962 से पूर्व भी इस थाना का निरीक्षण किया गया होगा । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पुराने सभी निरीक्षण टिप्पणियों को खोजकर उसे क्रमवार लगाते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । पंजियों की स्थिति बहुत ही जर्जर है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित सभी पंजियों का जिल्दाजी कराना सुनिश्चित करें एवं सभी पंजियों में लेवलिंग करते हुए कब से कब तक का है का जिक्र करें।

निरीक्षण टिप्पणी एक महत्वपूर्ण विषय है । इसमें कार्यालय के कार्य प्रणाली, क्षेत्र आदि के बारे में विस्तृत रूप से जिक्र होता है, जिसके अध्ययन करने से बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययन कर अनुपालन योग्य जो बिन्दुएँ हैं, उसका अनुपालन समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें ।

(6) थाना दैनिकी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-166 के तहत फार्म संख्या-15 में थाना दैनिकी संधारित है, जो दो प्रतियों में है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलितकर महीने

लगातार...8/-

के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में रहा है अथवा नहीं, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । थाना दैनिकी का अवलोकन किया । यह नियमित रूप से लिखा जा रहा है । थाना दैनिकी के बुक संख्या-14566 के क्रमांक बी-1456501 से क्रमांक-बी-1456600 तक का अवलोकन किया । थाना दैनिकी को थाना का दर्पण (MIRROR OF THE POLICE STATION) भी कहा जाता है ।

थाना दैनिकी के पृष्ट संख्या-1456520 परवर्णित थाना दैनिकी संख्या 412/2003 दिनांक 25-6-2003 का अवलोकन किया । इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समय चौकीदार 3/3 रामदेव पासवान, लखनौर थाना से मधेपुर थाना आए और अपने साथ बादी लोली चौपाल पे0 धिनाई चौपाल, सा0- मैनी पिपराही टोला, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी का लिखित आवेदन थानाप्रभारी, लखनौर, जिला-मधुबनी द्वारा अग्रसारित किया हुआ है, के आधार पर मधेपुर(लखनौर) थाना काण्ड संख्या 153/2003 दिनांक 25-06-2003 धारा 342/323/324/307/379/34 भा0द0वि0 अंकित किया गया तथा दूसरा लिखित आवेदन जुगेश्वर चौपाल पे0 स्व0 ठीठर चौपाल, सा0- मैनी, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी का लाए, जिसके आधार पर मधेपुर(लखनौर) थानाकाण्ड संख्या 0154/03, दिनांक 25-06-2003 धारा 342/323/324/307/34 भा0द0वि0 अंकित किया गया। दोनों कांडों का अनुसंधान स0अ0नि0 अभिनन्द सिंह, लखनौर थाना कर रहे हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि भेजा, लखनौर एवं आर0एस0शिविर थाना, मधेपुर थाना के सहायक थाना है, फलस्वरूप उक्त थाना का प्राथमिकी इसी थाना में दर्ज होता है ।

(7) फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म संख्या-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जो विहित प्रपत्र में संधारित किया गया है । यह दो भाग में होता है । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मियों का नाम एवं भाग-2 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है । थानाप्रभारी ने बताया कि भाग-1 में कुल 6(छः) फिरारी अंकित है जो क्रमशः

लगातार....9/-

§1§ सुखदेव राऊत पे0 बिलट राउत, सा0-भीठ भगवानपुर §2§ रामशरण नोनियाँ पे0 गुलाम नोनियाँ सा0- पचमनियाँ §3§ गरीब सौतार पे0 विक्रम सौतार , सा0- पचमनियाँ §4§ राम किशोर झा पे0 धनेश झा , सा0-भखराईन §5§ शान्ति देवी जोजे-राम किशोर झा , सा0-भखराईन §6§ अमरनाथ झा पे0 राम किशोर झा, सा0-भखराईन है । पंजी के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि फिरारी सुखदेव राऊत, रामशरण नोनियाँ, एवं गरीब सौतार की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 26-11-2002 को अन्तिम छापामारी की गई है तथा फिरारी राम किशोर झा, शान्ति देवी एवं अमरनाथ झा की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 20-2-2003 को अन्तिम छापामारी की गई है । पंजी का मिलान दिनांक 17-5-2003 को डी0सी0बी0 शाखा, मधुबनी से कराया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि इसका मिलान नियमित रूप से डी0सी0बी0 कार्यालय से कराकर पंजी अद्यतन रखें । निरीक्षण के समय उपस्थित अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कुर्की निर्गत करने के तुरत बाद ही फिरारी घोषित हो जाना चाहिए । उन्होंने बताया कि इस थाना के अन्तर्गत वर्ष 1986 के बाद कोई फिरारी नहीं है ।

§8§ गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या 31 ए. में इस पंजी का संधारण किया जाना है किन्तु इस थाना में एक अलग पंजी में संधारित किया जारहा है । थाना प्रभारी ने बताया कि प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में तैयार किया गया है । गिरफ्तार अपराधियों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003 में दिनांक 28-6-2003 तक कुल-13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसकी स्थिति निम्नवत है :- जनवरी मे-1, फरवरी-3, मार्च में-1, अप्रील में-5, मई में-1 एवं जून में-2 अभियुक्त गिरफ्तार ।

§9§ रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म संख्या-50 में यह पंजी संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि 14 वारंट एवं 8 कुर्की तामिला हेतु लंवित है, जो गम्भीर विषय है । नियमानुसार लंवित वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर किया जाना है । अनएक्सक्यूटेड वारंट से संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 से वारंट तामिला हेतु पड़ा हुआ है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । थाना प्रभारी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें कि इसके लिए कौनजिम्मेवार है ।

लगातार.....10/-

है । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का छानबीन कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें । दिनांक 28-06-2003 तक प्राप्त एवं निष्पादित वारंटों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

पूर्व से लंबित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
12	05	03	03	81	0	14	08

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम		वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0 मुन्द्रिका प्रसाद	-	5	3
2-	अ0नि0 लखेन्द्र पासवान	-		
3-	स0अ0नि0 राम पुकार सिंह	-	5	4
4-	स0अ0नि0 रीजवान अहमद	-	1	-
		योग :-	14	8

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंटन एवं कुर्की का 15 दिनों के अन्दर तामिला कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें ।

§10§ रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-130 के तहत फार्म संख्या-25 में यह पंजी संधारित है । यह पंजी दिनांक 4-12-2000 को जिला शास्त्र पंजी से मिलान किया गया है । बिहार शास्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान करवाया जाना है, जो नहीं किया गया है । थानाप्रभारी स्पष्टीकरण दें एवं अविलम्ब जिला शास्त्र पंजी से इसका मिलान कराना सुनिश्चित करें । जिला शास्त्र पंजी से मिलान कराने का एक मात्र उद्देश्य यह होताहै कि §1§ लाइसेन्सी जीवित है अथवा मृत हो चुका है§2§

लगातार....11/-

लाईसेन्स अद्यतन नवीकृत है अथवा नहीं (3) शस्त्र का सत्यापन वर्ष में एक बार कराया गया है अथवा नहीं ।

बताया गया कि इस थाना में कुल 38 आर्म्स लाईसेंस है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

(क) एस0बी0बी0एल0	-	03
(ख) डी0बी0बी0एल0	-	35
(ग) रिवाल्वर	-	×
(घ) राईफल	-	×
	कुल :-	38

(11) हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम 239 ए. फार्म संख्या 43 ए. में यह पंजी संधारित करना है, परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे रजिस्टर में संधारित किया गया है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसे हाल ही में तैयार किया गया है । पंजी का सभी कॉलम को सही ढंग से नहीं भरा गया है । यह पंजी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाजत में बन्दी को ठीक तरह से रखा जाय । यदि इस पंजी को सही ढंग से संधारित नहीं किया जाता है, कॉलम खाली छोड़ दिये जाते हैं तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यही माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है, उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार सही ढंग से करें एवं पंजी को अद्यतन रखें ।

(12) तहती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तहती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । इस तहती में सरकारी सम्पत्ति की सूची रखी गई है एवं इसका मिलान आरक्षी केन्द्र मधुबनी से दिनांक

लगातार....12/-

20-11-2002 को कराया गया है ।

§13§ तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम, पता इस तख्ती में अंकितयाजाता है, जो अद्यतन है ।

§14§ तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में यह प्रतिवेदन शून्य है ।

§15§ तख्ती नं0- 4 :-

इस तख्त में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है, परन्तु इस थाना में यह प्रतिवेदन शून्य है ।

§16§ तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष-अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है, किन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

§17§ तख्ती नं0-6:-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थानान्तर्गत मधेपुर बाजार में एक देशी शराब की दूकान, एक मशालेदार देशी शराब की दूकान तथा एक अंग्रेजी शराब की दूकान है, जो थाना के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ।सभी दूकानों के अनुज्ञाप्ति की मान्यता दिनांक 31-3-2004 तक है । निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुज्ञाप्तिधारी का नाम, अनुज्ञाप्ति संख्या, पता का जिक्र नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि मधेपुर थानान्तर्गत तीनों अनुज्ञाप्ति प्राप्त दूकानों का विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति तख्ती में भी चिपकाना सुनिश्चित करें ।

लगातार....13/-

§18§ तख्ती नं0-7 :-

इस तख्ती में लंबित कांडों की विवरणी दर्शायी गयी है, जिसके अनुसार कुल 35 काण्ड लंबित दिखाया जा रहा है, जिसमें विशोष प्रतिवेदित काण्डों की संख्या 18 तथा अविशोष प्रतिवेदित काण्डों की संख्या 17 है । थानाप्रभारी को निर्देश दि जाता है कि उक्त लंबित काण्डों का निष्पादन त्वरित गति से करें ।

§19§ तख्ती नं0-8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

§20§ तख्ती नं0-9 :-

इस थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की सूचना तख्ती में अंकित की जाती है । थानाप्रभारी ने बताय कि हाट/बाजार मधेपुर में प्रतिदिन लगता है । ग्राम-तरडीहा में रविवार एवं बुद्धवार को तथा रामबाग में मंगलवार एवं शुक्रवार को हाट लगता है ।

§21§ तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में प्रमुख/जिला पार्षद सदस्य/मुखिया एवं उप मुखियाकी सूची संधारित की गयी है । सूची के अनुसार दो जिलापार्षद सदस्य एवं प्रमुख तथा 15 मुखिया का नाम दर्शाया गया है । इस थाना क्षेत्र में कुल 15 पंचायत हैं ।

§22§ तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में पदाधिकारी एवं थानाओं की सूची जहाँ डाक-डाक सूचना भेजी जाती है, जिसे विधिवत् संधारित किया गया है ।

§23§ तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 6 है, जिसमें 5 मासिक एवं 1 त्रैमासिक है । थाना प्रभारी द्वारा दागियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जिसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाताहै कि सभी दागियों के

के ऊपर कड़ी निगरानी रखें । हो सकता है कि कुछ दागियों की मृत्यु भी हो गयी हो । अतः थाना प्रभारी इसकी जाँच कर तख्ती से ऐसे दागियों का नाम हटाने का प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

§24§ तख्ती संख्या-13 :-

इस तख्ती में सीमावर्त्ती क्षेत्र के दागियों की सूची रखी गई है, परन्तु सीमावर्त्ती थाना के कितने दागी हैं, इसका कोई जिक्र निरीक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं कराया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि सीमावर्त्ती थाना के दागियों की संख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें । साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधकर्मियों के ऊपर कड़ी निगरानी भी रखें ।

§25§ तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस तख्ती के अनुसार मासिक प्रतिवेदन, साप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन, मासिक कार्य विवरणी, थाना दैनिकी, प्राथमिकी, रोकड़ विवरणी, रेलवे वारंट विवरणी, हरिजन/आदिवासी संबंधी विवरणी भेजी जाती है ।

§26§ तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे । नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्त हों, तो इन देशों के सह-सीमस्त थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

§27§ तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि अंकित की जाती है ।

लगातार.... 15/-

तख्ती विधिवत संधारित है । इसमें वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार थाना क्षेत्र की जनसंख्या 1,55,893 है तथा क्षेत्रफल 135.52 एक्सक्वायर मील है । वर्ष 2001 की जनगणना घोषित हो चुकी है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार थानाक्षेत्र की जनसंख्या इस तख्ती में अंकित करना सुनिश्चित करें । इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता कि थाना का सृजन कब हुआ । इसी तख्ती में गाँव की संची, थाना नं० आदि का उल्लेख रहना चाहिए, जो नहीं है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करें ।

§28§ सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम -357 के तहत फार्म संख्या-75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं करके अलग नोट बुक में संधारित किया जा रहा है । थाना प्रभारी ने बताया कि नोट बुक आरक्षी कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण अलग नोटबुक में संधारित किया जा रहा है ।

§29§ खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है एवं जून, 2003 तक संधारित है । इसे आरक्षी निरीक्षक द्वारा संधारित किया जाता है ।

§30§ खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इसमें 64 कॉलम हैं । वर्ष 2002 तक इसे संधारित किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है ।इसमें पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है ।

§31§ सी०डी०पार्ट-I :-

इसमें दागी व्यक्तियों §डोसियर्स§ की सूची रखी जाती है । पंजी विधिवत संधारित है ।

§32§ सी०डी०पार्ट-II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित

लगातार 16/-

हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी विधिवत संधारित है एवं अद्यतन है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंतिम प्रविष्टि संख्या 2456 है, जो मधेपुर थाना काण्ड संख्या 0042/2003 दिनांक 14-3-2003 धारा 379 भा0द0वि0 से संबंधित है । दूसरे थाना क्षेत्र के अपराधियों का अपना निर्देशित पत्र भेजकर वहाँ की अपराध निर्देशिका भाग-2 का क्रमांक प्राप्त कर पंजी में प्रविष्ट कराया गया है।

§33§ सी0डी0पार्ट-।।। :-

यह पंजी विधिवत संधारित है एवं थानाप्रभारी द्वारा अपने हाथ से लिखा जा रहा है । इस पंजी में थाना क्षेत्र के अतिमहत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक , भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ क्रमवार अंकित की जाती है । नये आने वाले थाना प्रभारियों को इससे काफी मदद मिलती है । थाना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों एवं अपराध के बारे में भी इस पंजी में अंकित किया जाता है ।

§34§ अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विधिवत संधारित है । यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0 पार्ट-2 से जानकारी ली जाती है । अल्फावेटिकल पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है जो किसी सम्पत्तिमूलक मामले में संलिप्त रहते हैं। यह पंजी सी0डी0पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है ।

§35§ एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी दस्तक के नियम-357 के तहत फार्म संख्या- 76ए में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया या नहीं, अपराधियों द्वारा अपराध करने के उपरान्त जाते समय क्या-क्या बोला गया इत्यादि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

लगातार.... 17/-

§36§ अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सर्प दंश से	जहर खाने से	पानी में डूबने से	बिजली स्पर्शाघात से	आग से	फाँसी से	विविध	योग
1998	4	1	2	-	-	-	1	8
1999	2	1	1	-	-	3	2	9
2000	1	7	2	-	-	-	2	12
2001	-	5	1	-	-	-	-	6
2002	1	2	2	-	-	-	-	5
2003 §28.6.03 तक§	-	1	-	-	-	-	-	1

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1-	यू0डी0कांड सं0- 1/2002		अ0नि0 लखेन्द्र पासवान	भीसरा जाँच हेतु ।
2-	यू0डी0कांड सं0- 3/2002		अ0नि0 लखेन्द्र पासवान	भीसरा जाँच हेतु ।
3-	यू0डी0कांड सं0- 5/2002		स0अ0नि0आर0पी0सिंह	भीसरा जाँच हेतु ।
4-	यू0डी0कांड सं0- 2003			भीसरा जाँच हेतु

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र 4 यू0डी0काण्ड के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि वर्ष 1998 से 2003 तक कुल 41 काण्ड प्रतिवेदित है । थानाप्रभारी स्पष्ट करें कि अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग के बारे में मात्र 4 मामले का ही क्यों जिक्र किया गया है । शेष काण्डों की वर्त्तमान स्थिति क्या है, उसे भी स्पष्ट करें।

लगातार....18/-

§37§ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचारअधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी इस थाना में संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि मधेपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पचमनियाँ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बताया गया कि इस वर्ष में एक ही मामला दर्ज हुआ है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में समाचार-पत्र के माध्यम से प्रायः सूचनाएँ मिलती रहती है । जिलास्तर पर भी प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है, जो चिन्ता की बात है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस अधिनियम के तहत मिलने वाले व्यक्तियों की बात ध्यान से सुनें एवं उसका निदान भी करना सुनिश्चित करें । इस अधिनियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर इसका उल्लंघन माना जायगा एवं संबंधित पदाधिकारी दोषी माने जायेंगे ।

§38§ रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म संख्या -67 में यह पंजी संधारित करना है। पंजी विधिवत् संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में 5§पाँच§ डी०बी०बी० एल० बन्दुक जमा है । थाना प्रभारी द्वाराजमाकर्त्ता का नाम, बन्दुक संख्या, अनुज्ञाप्त संख्या एवं जमा करने का कारण निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदित करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अधिक दिनों से जमा/जप्त किये गये शास्त्रों को नियमानुसार विमुक्ति/रद्द करने की भी कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करें ।

§39§ दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-59 के तहत फार्म सं०- 6ए में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । नियमानुसार आरक्षी निरीक्षक को थाना दैनिकी में प्रतिदिन दर्ज होने वाले प्राथमिकी के मामलों में से मुख्य मामलों का दैनिक प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाना है, परन्तु इसका अनुपालन इस थाना में नहीं हो रहा है । प्रायः किसी भी थाना में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से सभी आरक्षी निरीक्षकों को निर्देश देने

क्रमशः.... 19/-

की कृपा करें । नियम-59(क) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 69. में जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे" । आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(40) चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में यह पंजी संधारित की गयी है । यह पंजी 19 कॉलम में संधारित है जिसमें प्रत्येक चौकीदार के लिए अलग-अलग पृष्ट आवंटित की गई है । बताया गया कि उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है एवं अनुपस्थिति लाल इंक से इटालियन में लिखा जाता है ।

चौकीदारों/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	5	5	-	-
2-	चौकीदार	40	39	1	-

थाना प्रभारी ने बताया कि दफादार अली हसन सर्किल नं0-4 के दफादार हैं । इनका सर्किल नं0-4 में पड़ने वाले गॉव मधेपुर थाना एवं लखनौर थाना में बॉटा हुआ है । अधिकांश गॉव लखनौर थाना क्षेत्र में पड़ता है । सिर्फ एक गॉव-पचही मधेपुर थाना अन्तर्गत पड़ता है । चौकीदारों के स्वीकृत बल 40 में से सर्किल सं0-8 का एक चौकीदार बैजनाथ यादव, मधेपुर थाना काण्ड संख्या 70/97 धारा-376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जेल में है । इस प्रकार इस थानान्तर्गत चौकीदार का एक पद रिक्त है ।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा चौकीदारी परेड का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में चौकीदारों द्वारा बताया गया मार्च-2003 से अद्यतन वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । निरीक्षण के दौरान उपस्थित अंचल अधिकारी, मधेपुर को निर्देश दिया गया कि वे अविलम्ब चौकीदारों का वेतन भुगतान कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अबतक

लगातार.... 20/-

वेतन भुगतान नहीं होने के लिए अपना स्पष्टीकरण भी दें । निरीक्षण के समय उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया गया कि इसकी छानबीन कर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अविलम्ब प्रतिवेदित करने की कृपा करें एवं चौकीदारों के वेतन भुगतान की समस्या का निदान तुरत करावें । यह अत्यन्त ही खेद एवं दुःख की बात है कि अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों को इतने दिनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	महाल एवं बीट संख्या	नाम	पदनाम
1-	-	अली हसन	दफादार
2-	-	काली प्रसाद यादव	दफादार
3-	-	सच्चिदानन्द सिंह	दफादार
4-	4/2	श्यामसुन्दर सदाय	चौकीदार
5-	4/3	भरोषी पासवान	चौकीदार
6-	4/4	सुन्दर पासवान	चौकीदार
7-	5/1	सत्य नारायण पासवान	चौकीदार
8-	5/2	मो0 सिद्धिक खाँ	चौकीदार
9-	5/3	बुधाई साहु	चौकीदार
10-	5/4	बुधाई कुजरा	चौकीदार
11-	5/5	सुलेमान खाँ	चौकीदार
12-	5/6	मो0 सफी अहमद	चौकीदार
13-	5/7	गुलाम रसूल	चौकीदार
14-	5/8	पूरन पासवान	चौकीदार
15-	5/9	रसूल खाँ	चौकीदार
16-	6/1	मो0 मुस्तकीम नदाफ	चौकीदार
17-	6/2	रूप लाल पासवान	चौकीदार
18-	6/3	जहरू मण्डल	चौकीदार
19-	6/4	मनीलाल पासवान	चौकीदार

लगातार...21/-

20-	6/5	ठक्को नदाफ	चौकीदार
21-	6/6	हबीब नदाफ	चौकीदार
22-	6/7	मुनचुन खतवे	चौकीदार
23-	6/8	मो0 आबीद	चौकीदार
24-	7/2	रब्बो मल्लाह	चौकीदार
25-	7/3	जुमराती नदाफ	चौकीदार
26-	7/4	डोमो नदाफ	चौकीदार
27-	7/5	अनिरूद्ध खतवे	चौकीदार
28-	7/6	मो0 हमीद नदाफ	चौकीदार
29-	7/7	असर्फी नदाफ	चौकीदार
30-	7/8	शमीम नदाफ	चौकीदार
31-	7/9	इदरीस नदाफ	चौकीदार
32-	10/5	सियाराम मण्डल	चौकीदार
33-	8/7	प्रेम पासवान	चौकीदार
34-	12/1	नजीर नदाफ	चौकीदार
35-	12/2	राम अवतार पासवान	चौकीदार
36-	12/3	अमरेन्द्र तॉती	चौकीदार
37-	12/4	रामचन्द्र मण्डल	चौकीदार
38-	12/5	हरेराम पासवान	चौकीदार
39-	12/6	सत्यनारायण खतवे	चौकीदार
40-	12/7	सीताराम पासवान	चौकीदार

लगातार..... 22/-

41-	12/8	दयाराम पासवान	चौकीदार
42-	12/9	राजेन्द्र पासवान	चौकीदार

§41§ चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, परन्तु पंजी की स्थिति बहुत जर्जर है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब इस पंजी का बाईंडिंग कराना सुनिश्चित करें एवं पंजी के ऊपर लेवलिंग भी करावें । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करें ।

§42§ मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-307 के तहत फार्म संख्या-51 में मालखाना पंजी संधारित करना है जिसमें §क§ लावारिस सामान §ख§ जप्त सम्पत्ति §ग§ कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं §घ§ अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखाना पंजी का अवलोकन किया । इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बहुत सारे सामान एक लम्बे अर्से से अनावश्यक रूप से पड़े हुए हैं, जिसे नीलाम करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी ने बताया कि स0अ0नि रामपुकार सिंह, मालखाना के प्रभार में थे, जो इस थाना से स्थानान्तरित होकर मार्च, 2003 में ही चले गये हैं । लेकिन उनके द्वारा अभी तक मालखाना का प्रभार नहीं सौंपा गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से उक्त स0अ0नि0 रामपुकार सिंह को मालखाना का प्रभार सौंपने हेतु निर्देश देने की कृपा करें । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मालखाना का प्रभार हो जाने के उपरान्त मालखाना में रखे अनावश्यक सामानों के निष्पादन की दिशा में कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

§43§ मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री§प्रदर्श§ मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति मालखाना रिसीट पंजी में चिपकाई जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है, जो विधिवत् संधारित किया जा रहा है ।

लगातार.... 23/-

§44§ अनुक्रमणी पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया कि अनुक्रमणी पंजी संधारित है, परन्तु कितने तरह की पंजियाँ इस थाना में संधारित की जा रही है, इसका कोई उल्लेख पंजी में नहीं है । थाना प्रभारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में पुलिस विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से मार्ग-निर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

§45§ गुण्डा पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1316§क§ के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार निम्नप्रकार के गुण्डा होते हैं :- §1§ शराबी §2§ दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले §3§ मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले §4§ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले §5§ काला बाजारी करने वाले §6§ दंगाई §7§ मुकदमेबाज §8§ तोड़-फोड़ करने वाले §9§ सम्प्रदायवादी §10§ छात्रों को भड़काने वाले §11§ स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §12§ जुआड़ी §13§ छीन-छोर करने वाले §14§ रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले । इस थाना में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । थानाप्रभारी ने बताया कि विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । इस पंजी का मिलान आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के डी०सी०बी० शाखा से दिनांक 23-11-2001 को कराया गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अद्यतन मिलान कराया जाय ।

§46§ प्राथमिकी पंजी :-

यह पंजी विधिवत् इस थाना में संधारित किया गया है । विगत पाँच वर्षों का प्राथमिकी आँकड़ा निम्नप्रकार है:-

वर्ष	107/116 द०प्र०सं०	144/145 द०प्र०सं०	133 द०प्र०सं०	182/211 भा०द०वि०	188 भा०द०वि०
1998	64	15	1	-	-
1999	77	1	-	-	-
2000	92	19	-	3	-
2001	134	16	-	4	-
2002	127	19	1	6	1
2003 §28-6-03तक§	41	4	-	1	-

लगातार.....24/-

§47§ प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्राथमिकी पंजी के मौलूम संख्या-18632 के क्रमांक 0931551 से 0931586 तक का अवलोकन किया । इसमें कुल 155/03 काण्ड दर्ज हैं । यह 50 पन्ने का मौलूम होता है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में मधेपुर थाना के अलावे लखनौर, भेजा तथा आर०एस० शिविर थाना का प्राथमिकी दर्ज होता है ।चूँकि इन थानों का विधिवत् अधिसूचना नहीं हुआ है, फलस्वरूप इन थानों का प्राथमिकी इसी थाना में दर्ज किया जाता है । पंजी के अवलोकन से यहभी स्पष्ट होता है कि एफ०आई०आर० में निर्गत किये गये नोटिस का तामिला सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो गम्भीर विषय है । थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करें । कुल 155 मामले में दर्ज प्राथमिकी में कितने में चार्जसीट दाखिल किया गया है, इसकाकोई संतोषजनक उत्तर थानाप्रभारी नहीं दे सके । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दर्ज 155 प्राथमिकी के संबंध में विस्तृत सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजें । बताया गया कि प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संधारित किया जाता है एवं पाँच प्रतियों में तैयार किया जाता है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक को , तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को , चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है, तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । शिकायत करने आये व्यक्ति की बात पुरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए । थानाप्रभारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

§48§ लंवित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

इस थाना के अन्तर्गत लंवित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंवित का कारण
1-	14/1991	-	419/420/467/468 भा०द०वि०	सी०आई०डी० कन्ट्रोल	-
2-	32/01	-	409 भा०द०वि०	स०अ०नि०राम पुकार सिंह	-
3-	107/2002	-	395 भा०द०वि०	अ०नि० एल० पासवान	गिरफ्तारी हेतु ।
4-	227/2002	-	467/468/419/420/34 भा०द०वि०	अ०नि० एम० प्रसाद	पर्यवेक्षण एवं आदेश हेत
5-	260/2002	-	406 भा०द०वि०	स०अ०नि० टी० सिंह	गिरफ्तारी हेतु

लगातार....25/-

6-	287/2002	-	324/307/34 भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट ।	स0अ0नि0 टी0सिंह	गिरफ्तारी हेतु ।
7-	11/2003	-	435 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0 अहमद	पर्यवेक्षण हेतु
8-	16/2003	-	25(1-ए) (1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट ।	स0अ0नि0 आर0 अहमद	पर्यवेक्षण हेतु ।
9-	17/2003	-	414 भा0द0वि0	तदैव	तदैव ।
10-	20/2003	-	144/452/341/342/354/323/509/34 भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट	तदैव	आदेश हेतु ।
11-	70/2003	-	302/201/भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 प्रसाद	पर्यवेक्षण हेतु ।
12-	71/2003	-	147/149/307/325/341/342/323/333/332/335/224/151 भा0द0वि0	तदैव	गिरफ्तारी हेतु ।
13-	72/2003	-	147/149/452/379/380/436/353/427/224/511 भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	तदैव
14-	73/2003	-	341/307/323/427/353/332/34 भा0द0वि0 ।	स0अ0नि0 आर0अहमद	आदेश हेतु ।
15-	74/2003	-	147/149/452/427/323/353/332/333/भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 प्रसाद	गिरफ्तारी हेतु ।
16-	75/2003	-	147/149/452/427/323/353/332/333/भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	तदैव
17-	79/2003	-	147/447/341/427/436/323/379/504 भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 प्रसाद	तदैव
18-	115/2003	-	147/341/323/307/379/504 भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।

लंबित विशोध कांण्डों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 का एक मामला, वर्ष 2001 का एक मामला, वर्ष 2002 का चार मामले अभी तक लंबित चले आ रहे हैं, जो चिन्ता की बात है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित

लगातार....26/-

विशेष काण्डों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करें ।

(49) लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	207/2001	447/341/323/504/506/380 भा0द0वि0	स0अ0नि0 रामपुकार सिंह	
2-	36/2002	379/411/34 भा0द0वि0	तदैव	-
3-	89/2002	147/148/149/447/341/342/324/307 भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	आदेश हेतु ।
4-	90/2002	147/148/149/448/341/342/379/307 भा0द0वि0	तदैव	आदेश हेतु ।
5-	201/2002	341/323/452/380/427/384/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 रामपुकार सिंह	-
6-	223/2002	457/380 भा0द0वि0	तदैव	तदैव
7-	225/2002	47(ए) उत्पाद अधिनियम	तदैव	-
8-	250/2002	341/323/379/504 भा0द0वि0	तदैव	-
9-	258/2002	144/379 भा0द0वि0	तदैव	-
10-	268/2002	457/323/354/477/380/384/504/34 भा0द0वि0	तदैव	-
11-	271/2002	429/427/379/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0 अहमद	आदेश हेतु
12-	273/2002	144/379 भा0द0वि0	स0अ0नि0 रामपुकार सिंह	-
13-	300/2002	341/447/323/324/379//34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	-
14-	13/2003	341/323/324/307/379/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0 अहमद	गिरफ्तारी हेतु ।

लगातार.... 27/-

15-	32/2003	-	279/337 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0 अहमद	एम0भी0आई0रिपोर्ट हेतु
16-	101/2003	-	448/354/341/323/380/ भा0 द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु
17-	108/2003	-	341/323/427/379/504 / 34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 टी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित अविशेष काण्डों की समीक्षा कर उसके निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(50) अपराध आँकड़ा :-

मधेपुर थानाअन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1998	2(1)	-	-	2(1)	3	6(5)
1999	1(1)	1	-	2(1)	5(3)	11(6)
2000	3(1)	1	-	8(2)	4(1)	18(15)
2001	-	-	-	4(1)	5(2)	13(12)
2002	-	2	-	3	6	5(3)
2003 (28-6-03 तक)	1	-	-	4	5	8(1)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र डकैती एवं लूट की घटनाओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों(मदों) अपराध की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकताहै । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता कि सघन अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, ारपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता हैं ।

लगातार....28/-

§51§ पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-912 के तहत प्रपत्र संख्या 199 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119 आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं §4§ आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी ने बताया कि विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में इसका संधारण इस थाना में किया जा रहा है ।प्राप्त पत्रों की पंजी का अवलोकन किया , जिसमें दिनांक 26-6-2003 तक संधारित किया गया है । निर्गत पत्रों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 29-6-2003 तक कुल 294 पत्र निर्गत किये गये हैं । पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करें ।

§52§ कान्सटेबुल नोट बुक :-

इस थाना में कान्सटेबुल नोट बुक विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89§ड.§ के तहत कॉन्सटेबुल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबुल द्वारा कौन-कौन सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया ।

§53§ सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकित सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार इन्हें पुरस्कृत करना चाहेंगे :-

1- हवलदार योगेन्द्र झा
2- आरक्षी-73 - दयानन्द झा
3- आरक्षी-47 जितेन्द्र मिश्र
4- आरक्षी-640 कैलाश कुमार झा
5- आरक्षी-104 जय प्रकाश कुमार

लगातार...29/-

(54) थाना प्रभारी का कर्त्तव्य :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81(क) में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।

(ख) अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्योरे पाना ।

(ग) अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना ।

(घ) अपराध-निदेशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।

(च) सड़क गश्त की व्यवस्था करना ।

(छ) सीमावर्त्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करें।

(55) अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर समय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) एस0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठकमें जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थानाप्रभारी लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादन कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी0डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

लगातार.... 30/-

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/ शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(च) गरीब और असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जन-जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि लोगों में विश्वास की भावना जागृत हो सके ।

(56) निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्यकलाप पूर्णरूपेण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । थाना में स्थित पंजी का रख-रखाव, प्रतिवेदन-विवरणी भेजने की स्थिति ठीक नहीं है । थानाप्रभारी, मुन्शिका प्रसाद को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । आरक्षी हस्तक अधिनियम का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । थाना स्थित सभी पंजियों में पृष्ठों का सत्यापन पंजी के प्रथम पन्ना में अवश्य करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है, तो थाना के कार्यकलाप में और भी गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार... 31/-

ज्ञाप संख्या 1634/ गो0 ।सामान्य, मधुबनी, दिनांक 22 जुलाई, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषि
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह ।विशेष। विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक ।प्रशासन।, बिहार पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप-महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, मधेपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी, मधेपुर थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 21.7.2003
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।